बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0–9/विविध–13–01/2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–................................

सिविल सर्जन, सीतामढ़ी के पत्रांक–5020 दिनांक–18.09.2024 के द्वारा डॉ० प्रतिभा सिन्हा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सीतामढी के योगदान संबंधी आवेदन को उपलब्ध कराते हुए सूचित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०–2030(2) दिनांक–30.12.2022 के द्वारा डॉ० प्रतिभा सिन्हा का पदस्थापन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी के पद पर हुई थी। इसके अनुपालन में डॉ० सिन्हा द्वारा योगदान नहीं दी गयी थी। डॉ० सिन्हा के द्वारा दिनांक–12.09.2024 को समर्पित योगदान संबंधी आवेदन में अपने पिताजी का बीमारी का जिक्र करते हुए हुए योगदान नहीं करने का कारण से अवगत कराते हुए पदस्थापित स्थान पर पुनः योगदान कराने का अनुरोध किया गया है। सिविल सर्जन, सीतामढ़ी द्वारा डॉ० प्रतिभा सिन्हा के योगदान संबंधी आवेदन पर मार्गदर्शन की मॉग की गयी है।

2. सिविल सर्जन, सीतामढ़ी के द्वारा डॉ० प्रतिभा सिन्हा के योगदान संबंधी आवेदन पर याचित मार्गदर्शन के संबंध में समीक्षोपरान्त डॉ० प्रतिभा सिन्हा का आवेदन को स्वीकार करते हुए पूर्व पदस्थापित स्थान पर योगदान कराने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, सीतामढ़ी को निदेशित किया जाता है कि डॉ० प्रतिभा सिन्हा को निर्गत आदेश के आलोक में योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करायी जाये। डॉ० प्रतिभा सिन्हा का योगदान करने की सूचना अविलब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० प्रतिभा सिन्हा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध करायी जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/विविध–13–01/2025(स्वा0) 163(9)/ पटना, दिनांकः–25.2.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, सीतामढ़ी को निदेशित किया जाता है कि डॉ० प्रतिभा सिन्हा के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहिप प्रपत्र आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० प्रतिभा सिन्हा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

25/02/2025

सरकार के अवर सचिव।